प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.10.2026

गजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरूद्ध सशक्त अभियान

क्राइम ब्रान्च टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहन चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह का 01 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 क्रेटा कार, फर्जी नम्बर प्लेट व अवैध तमंचा कारतूस बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनाँक-06/10/2026 को क्राइम ब्रान्च टीम द्वारा गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह का 01 शातिर सक्रिय सदस्य इमरान को थाना लिंक रोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 क्रेटा कार, फर्जी नम्बर प्लेट व अवैध असलाह कारतूस बरामद किये गये है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>- पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया वाहनों की चोरी करने व चोरी किये गये वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वालों का एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह मे इसके अलावा साहबजादा, फरमान उर्फ नागिन व पंजाब निवासी रंजीत सक्रिय सदस्य हैं। जिसमें फरार अभियुक्त फरमान उर्फ नागिन गैंग का लीडर है। इमरान, साहबजादा व फरमान उर्फ नागिन डिमाण्ड के अनुसार गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया गाडियों की चोरी करते हैं तथा चोरी किये वाहनों को पंजाब निवासी अपने साथी रंजीत को अच्छी कीमतों पर बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त इमरान ने पूछताछ पर अपने साथी फरमान उर्फ नागिन व साहबजादा के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के थाना लिंक रोड के सूर्यनगर क्षेत्र से सितम्बर माह में एक फॉर्च्यूनर लीजेन्डर गाडी चोरी करने की घटना का इकबाल किया है तथा उक्त फॉर्च्यूनर अपने साथी फरमान उर्फ नागिन के पास होना बताया है तथा थाना बापूधाम क्षेत्र के स्वर्णजयन्तिपुरम से अगस्त माह मे एक एल्कजार कार को भी अपने साथी फरमान उर्फ नागिन व साहबजादा के साथ मिलकर चोरी किया था लेकिन उसको कुछ दूरी पर छोड कर चले गये थे, जिसको थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा पूर्व मे लावारिस मे बरामद किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त इमरान ने पूछताछ पर यह भी बतया कि ये लोग बरामद चोरी की क्रेटा कार पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अन्य गाडियो को चोरी करने मे प्रयोग करते है। बरामद तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि चोरी करने के दौरान यदि कोई व्यक्ति आस-पास आ जाता है तो उसको डराने धमकाने के लिए अपने पास रखते है। चोरी किये गये वाहनों को बेचने से जो मुनाफा होता है उसको आपस में बराबर-बराबर आपस में बांट लेते हैं और अपने घर से खर्चे व अपने शौक पूरे करते है।

फरार अभियुक्त फरमान उर्फ नागिन, साहबजादा व पंजाब निवासी रंजीत को गिरफ्तार करने व उक्त गिरोह द्वारा चोरी की गयी गाडियों को बरामद करने हेतु टीम गठित कर लगातार प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.इमरान पुत्र मेहरबान निवासी समर गार्डन थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1.क्रेटा कार रंग सफेद रजिस्ट्रेशन नम्बर- DL 1CAE 2794 (पंजाबी बाग दिल्ली से चोरी)
2.फर्जी नम्बर प्लेट -02 अदद
3.एक अदद अवैध तंमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0स0-408/17 धारा-147/148/149/307 भादवि थाना लिसाडी गेट मेरठ
2.मु0अ0स0-165/18 धारा-411/413/420/414/467/468 भादवि थाना लालकुर्ती मेरठ
3.मु0अ0स0-132/19 धारा-411/414 भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
4.मु0अ0स0-133/19 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ
5.मु0अ0स0-110/23 धारा-379/34 भादवि थाना सैक्टर -9 ए गुरुग्राम हरियाणा
6.मु0अ0स0-340/23 धारा-379/411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सैक्टर-20 नोएडा
7.मु0अ0स0-342/23 धारा-379/411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सैक्टर-20 नोएडा
8.मु0अ0स0-370/23 धारा-379/411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सैक्टर-20 नोएडा
9.मु0अ0स0-26076/23 धारा-379/411 भादवि थाना के0एन0 काट्जु मार्ग दिल्ली
10.मु0अ0स0-106/24 धारा-411/414 थाना इंचोली मेरठ
11.मु0अ0स0-636/24 धारा-305बी/62/221/132/109(1)/3(5) बीएनएस व 25/27 ए. एक्ट थाना भारतनगर दिल्ली
12.मु0अ0स0-32/25 धारा-221/132/121(1)/109(1)/3(5) बीएनएस व 25/27 ए.एक्ट थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
13.मु0अ0स0-1143/25 धारा-305 बीएनएस थाना न्यू फ्रैण्ड्स कॉलोनी दिल्ली
14.मु0अ0स0-179/26 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
15.मु0अ0स0-244/26 धारा-317(2)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 ए.एक्ट थाना लिंक रोड गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. क्राइम ब्रान्च, गाजियाबाद।
2. थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 04 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 07.10.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा ‘**ऑपरेशन प्रहार’** के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान भोपुरा की तरफ जाने वाला रास्ता चौकी क्षेत्र मोहन नगर के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1.संजय पुत्र छतरबली निवासी गली न0- 02, प्यारेलाल कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष 2. तैफीदुल इस्लाम पुत्र हुसैन अली निवासी सादिआलेर कुटी थाना साहेबगंज जनपद- कुच विहार पश्चिम बंगाल उम्र करीब 39 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 04 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पुछताछ करने पर बताया कि हम दोनों रात्रि में चोरी छिपे दिल्ली से अवैध गांजा लेकर आते हैं। उसके बाद अभियुक्त संजय के घर छोटी छोटी गांजा की पुडिया बनाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। आज हम दोनों यह गांजा लेकर गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाने संजय के घर ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.संजय पुत्र छतरबली निवासी गली न0- 02, प्यारेलाल कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।

2. तैफीदुल इस्लाम पुत्र हुसैन अली निवासी सादिआलेर कुटी थाना साहेबगंज जनपद- कुच विहार पश्चिम बंगाल उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से कुल 04 किलोग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त संजय उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत हैं।

अभियुक्त तैफीदुल इस्लाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 प्लास्टिक के कट्टे जिनमें चोरी का तांबे का तार कुल वजन 100 किलो 400 ग्राम, 5000/- रुपए नगद, 04 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 05-10-2026 को थाना लिंक रोड पर वादी श्री राजेश गिरि द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की फैक्ट्री से कॉपर वायर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर धारा 305(A) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.10.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने 05 अभियुक्तों 1.फैसल उर्फ फैजल उर्फ शकील पुत्र यामीन उर्फ आमीन निवासी ग्राम बरहऊपुर पट्टी थाना पट्टी जिला प्रतापगढ हाल पता मंगल बाजार ग्राम कडकड मॉडल थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2.शिवकुमार पुत्र भरत सिंह निवासी संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 3.मोहित कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी फरीदपुर सघीरन थाना हल्दौर बिजनौर हाल पता टंकी वाली गली कडकड मॉडल थाना लिंक रोड उम्र करीब 28 वर्ष 4. नदीम हसन पुत्र इलियास निवासी दूधिया पीपल के पास डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष 5. चांद मौहम्मद पुत्र अल्ला मेहर निवासी दूधिया पीपल के पास डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे/जामा तलाशी से 05 प्लास्टिक के कट्टे जिनमें चोरी का तांबे का तार कुल वजन 100 किलो 400 ग्राम, 5000/- रूपए नगद, 04 मोबाइल फोन बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त फैसल, शिव कुमार, मोहित कुमार उपरोक्त ने बताया कि यह तांबे का तार हम तीनों ने एटलस कम्पनी के बराबर वाली तांबे के तार की कम्पनी से चोरी किया था जिसे आज हम अपने साथी नदीम हसन व चांद मौहम्मद कबाडी को बेचने आये थे कि पुलिस ने पकड लिया। इसी चोरी के कुछ बण्डल हमने पहले नदीम व चांद को बेच दिये थे जो रुपये मिले थे वह हमसे खर्च हो गये थे तथा बचे हुए 5000/- रुपये आज नदीम व चांद हमे देने आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.फैसल उर्फ फैजल उर्फ शकील पुत्र यामीन उर्फ आमीन निवासी ग्राम बरहऊपुर पट्टी थाना पट्टी जिला प्रतापगढ हाल पता मंगल बाजार ग्राम कडकड मॉडल थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

2.शिवकुमार पुत्र भरत सिंह निवासी संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

3.मोहित कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी फरीदपुर सघीरन थाना हल्दौर बिजनौर हाल पता टंकी वाली गली कडकड मॉडल थाना लिंक रोड उम्र करीब 28 वर्ष।

4.नदीम हसन पुत्र इलियास निवासी दूधिया पीपल के पास डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

5. चांद मौहम्मद पुत्र अल्ला मेहर निवासी दूधिया पीपल के पास डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त फैसल उर्फ फैजल उर्फ शकील उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी के 10 अभियोग लूट का 01 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-13)**

अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी के कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त मोहित कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशम्बी पर चोरी का 01 अभियोग तथा थाना लिंक रोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त नदीम हसन उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त चांद मौहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे/जामा तलाशी से 05 प्लास्टिक के कट्टे जिनमें चोरी का तांबे का तार कुल वजन 100 किलो 400 ग्राम, 5000/- रूपए नगद, 04 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया के पति द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को डरा-धमकाकर व मारपीट कर उसके साथ गलत काम कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा 65(1)/115(2)/351(2) बीएनएस व 5n/6 पॉक्सो एक्ट के अतंर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 06.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। मैंने नशे में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम कर दिया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 हाथ की घड़ी, 01 लैपटॉप, तांबे का तार, पीतल का सामान व 01 चोरी की स्कूटी आदि बरामद।

दिनांक 05.10.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की कम्पनी से 01 स्कूटी, 01 लैपटॉप, तांबे का तार, पीतल का सामान आदि चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. सनी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम गूंगा खेडी थाना बडौत जिला बागपत, उम्र 21 वर्ष 2. विशाल उर्फ विषु पुत्र राजकुमार निवासी बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बुढेडा जिला बागपत, उम्र 20 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 02 हाथ की घड़ी, 01 लैपटॉप, तांबे का तार, पीतल का सामान व 01 चोरी की स्कूटी आदि बरामद

हुई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त विशाल ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादी की कम्पनी में पूर्व में 8 माह नौकरी कर चुका हूँ । मैंने अपने साथी सन्नी के साथ मिलकर दिनांक 05.10.2026 को उपरोक्त चोरी की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. सनी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम गूंगा खेडी थाना बडौत जिला बागपत, उम्र 21 वर्ष।
2. विशाल उर्फ विषु पुत्र राजकुमार निवासी बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बुढेडा जिला बागपत, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 चोरी की स्कूटी, 02 हाथ की घड़ी, 11 बंडल तांबे का तार, खुले हुए तांबे के तार, 24 टुकडे पीली धातु (नट-बोल्ट) व 26 टुकडे सफेद धातु (नट-बोल्ट), 01 कीबोर्ड, 01 रिमोट, 01 लैपटॉप, 02 माऊस, 01 लैपटॉप चार्जर, 01 डीवीआर, 01 सीपीयू, 01 कार्टून जिसमें 5 विद्युत मोटर, 01 मोबाइल रियलमी कंपनी, 02 कूलिंग कॉइल व 01 कंडेंसर, 01 माईक बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **07.10.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके

क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 07.10.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	64
2.	ट्रांस हिण्डन	72
3.	ग्रामीण	77
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**213**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु के प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.10.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376(3) भादवि व 5(l)/6 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में अभियुक्त दीपक

पुत्र शिवालक ठाकुर निवासी गली न0- 01 ग्रीन होटल के पास बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा धारा- 6 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक उ0नि0 श्री महक सिंह थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी एवं गुणवत्ता पूर्ण विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ घृणित एवं जघन्य अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर दिनांक 21.02.2023 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 ऊषा** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 अमित कुमार** पैरोकार थाना क्रासिंग रिपब्लिक

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः-02.10.2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत अभियोग हत्या का प्रयास के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त जुनैद पुत्र उस्मान निवासी गली नं0 3 हज हाउस कॉलोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को टी-पाउन्ट पुस्ता रोड हिण्डन विहार मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब हमारी पुरानी बातों को लेकर काफी दिनों से एक दूसरे से रंजिश चली आ रही है और उसी को लेकर हमारे बीच लडाई/झगडा हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. जुनैद पुत्र उस्मान निवासी गली नं0 3 हज हाउस कॉलोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

निल ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त जुनैद उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग हत्या के प्रयास सम्बन्धी व 01 अभियोग पॉक्सो सम्बन्धी पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना नन्दग्राम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे बरामद।

दिनांक 06.10.2026 को रात्रि मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियो के नियन्त्रण हेतु चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अभियुक्त परवेश पुत्र श्री बृजपाल सिंह निवासी गली नं0 09 सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को जल प्लांट रोड बिजली घर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 चोरी की मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे बरामद हुई, जिस पर अभियुक्त द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगायी हुई थी, उक्त मोटर साइकिल की जानकारी हेतु मोटर साइकिल की चेसिस नम्बर व इन्जन नम्बर के माध्यम से जानकारी की गयी तो यह मोटर साइकिल गाजीपुर दिल्ली से चोरी होना पाया गया है तथा जिसके सम्बन्ध मे थाना गाजीपुर दिल्ली पर चोरी के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटर साइकिल व उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाने के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/345(3) बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मुझसे जो टीवीएस अपाचे मोटर साइकिल बरामद हुई है यह मोटर साईकिल मैंने 4 दिन पहले गाजीपुर दिल्ली से चोरी की थी तथा पुलिस से बचने के लिए मैने इस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी जिसको मै बेचने की फिराक मे लगा हुआ था, कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

अभियुक्त का नाम व पता

परवेश पुत्र श्री बृजपाल सिंह निवासी गली नं0 09 सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. थाना गाजीपुर दिल्ली से चोरी की टीवीएस अपाचे मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट के साथ।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक वाहन चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना गाजीपुर दिल्ली पर 01 चोरी से सम्बन्धित अभियोग, थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग व अवैध अस्लाह के सम्बन्ध मे 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर अनैतिक सम्बन्ध बनाने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः-14.08.2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत अभियोग शादी का झांसा देकर अनैतिक सम्बन्ध बनाने के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त मनीष पुत्र राकेश नि0 डी-एस 56 नई बस्ती नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद को दिनांक 04.10.2026 समय 09.42 बजे सन्होली / कहवा थाना संग्रामपुर जिला मुंगेर बिहार से गिरफ्तार कर प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ मुंगेर राज्य बिहार के समक्ष पेश किया गया। जहाँ पर माननीय न्यायालय द्वारा अभि0 उपरोक्त को दिनांक 05.10.26 को 16.30 बजे से अगले 50 घण्टे तक के लिए ट्रांजिट रिमाण्ड पर दिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही का जी रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब पीडिता मुकदमा उपरोक्त मेरी पडोसी थी, हम दोनों की जान पहचान हो गयी और धीरे-धीरे शारिरिक सम्बन्ध स्थापित होने लगे, जब पीडिता ने शादी के लिए कहा तो पीडिता के पूर्व पति से दो बच्चे थे तथा पीडिता की उम्र भी मुझसे 10 वर्ष अधिक थी। शादी से बचने के लिए मै गाजियाबाद से जाकर बिहार मे छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. मनीष पुत्र राकेश नि0 डी-एस 56 नई बस्ती नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मनीष उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग अनैतिक संबंध बनाने सम्बन्धी पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना नन्दग्राम।